संख्याः 4170 /18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल/चम्पावत/देहरादून/
पौड़ी गढ़वाल/टिहरी गढ़वाल।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, 2007

विषयः— वर्ग–4 की भूमि के अनाधिकृत कब्जो के विनियमितीकरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–658/18(1)/2006 दिनांक 28 सितम्बर, 2006 एंव शासनादेश संख्या–658(1)/18(1)/2006 दिनांक 30 जून, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा वर्ग–4 की भूमि के अनाधिकृत कब्जो के विनियमितीकरण की अन्तिम तिथि सर्वप्रथम 30 जून, 2007 निर्धारित की गई थी, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2007 तक बढ़ाया गया था। जिलाधिकारी जनपद उधमसिंहनगर द्वारा इस समय सीमा को बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया एंव इस अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ग–4 की भूमि के अनाधिकृत कब्जों के विनियमितीकरण की तिथि को 31 मार्च, 2008 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— अतः अपने जनपदों में इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों एंव जिला सूचना कार्यालयों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये अभियान के रूप में लिया जाये एवं सम्बन्धित काबिजदारों से समयबद्ध प्रस्ताव देने के लिये समयसीमा निर्धारित कर विनियमितीकरण की कार्यवाही को दिनांक 31 मार्च, 2008 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये। यदि प्रश्नगत अवधि के अन्तर्गत उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तो सम्बन्धित अधिकारी/कार्यकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

.....(2)

3– माह जनवरी, 2008 तक इस सम्बन्ध में हुई प्रगति से शासन को अवगत करा दिया जायेगा।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव एंव अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी।
5– निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
6– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्दीप बडोनी)
अनुसचिव।

13/1/2002 Bm